छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 355/2006</u>

श्री नवीन कुमार खरे,
द्वारा–श्री आर. एल. खरे,
शिवम् निवास,
रूद्री रोड, गोकुलपुर, ... अपीलार्थी
धमतरी (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 08 नवम्बर 2006)

श्री नवीन कुमार खरे के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा–2003 की परीक्षा दी गई थी। विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा के परिणाम के पश्चात् सफल प्रतिभागी का शारीरिक परीक्षण भी होना था। अपीलार्थी ने आवेदन दिया था कि सफल घोषित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक परीक्षण कर लिया जावे, तत्पश्चात् साक्षात्कार आदि की कार्यवाही की जावे।अपीलार्थी ने भौतिक एवं गणित विषय की descriptive papers की उत्तरपुस्तिका की सत्यप्रतिलिपि चाही थी, जिसे कि सूचना अधिकारी के द्वारा देने से इंकार किया गया। अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार की। अपीलार्थी ने द्वितीय अपील प्रस्तुत कर भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय की descriptive papers की उत्तरपुस्तिका की फोटोप्रति दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया।

2/ आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उल्लेख किया गया कि परीक्षा प्रक्रिया गोपनीय है तथा सहायक वन सर्वेक्षण परीक्षा–2003 की descriptive papers की उत्तरपुस्तिका की सत्यप्रतिलिपि प्रदान करने से गोपनीयता भंग होगी। अतः मांगी गई जानकारी जनहित में न होने के फलस्वरुप देने से इंकार किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी इसी आधार पर अपील अस्वीकार की गई है।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा प्रक्रिया गोपनीय स्वरुप की है तथा इसका प्रकटन होने से संबंधित परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उत्तरपुस्तिकाओं की प्रतिलिपि दिये

जाने से मूल्यांकनकर्ता, जांचकर्ता तथा मुख्य परीक्षक की भी पहचान हो सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत ऐसी सूचना जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या जनहित से संबंधित नहीं रखता है, की जानकारी दिया जाना बंधनकारी नहीं है। चूँकि राज्य वन सेवा परीक्षा–2003 की उत्तरपुस्तिकाओं की सत्यप्रतिलिपि दिये जाने से परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है तथा इसकी उत्तरपुस्तिका दिया जाना लोकहित में आवश्यक नहीं है। अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

हस्ता0/– 8–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त